

CNG नावों से खतरे का दावा, NGT का सुनवाई से इनकार

Prachi.Yadav

@timesgroup.com

■ नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने वाराणसी, उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे बने 'नमो घाट' से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। फिलीशन में घाट पर CNG नावों के संचालन से आग लगने के जोखिम का मुद्दा उठाया था। NGT के न्यायिक सदस्य जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने आदेश में कहा कि याचिका में कहीं भी ऐसी किसी घटना के वास्तव में होने का जिक्र



नहीं है। याचिका पूरी तरह से भय और और आशंकाओं पर आधारित है। इसमें उठाया गया मुद्दा पर्यावरण से नहीं, बल्कि सुरक्षा सावधानियों से जुड़ा है। अर्जी में कहा गया कि वाराणसी में नमो घाट में संचालित कूज CNG से चलते हैं। GAIL अथॉरिटी ने घाट पर CNG फिलिंग स्टेशन लगाए हैं। चूंकि तीर्थयात्री घाट पर दिये जलाकर उन्हें नदी में प्रवाह करते हैं तो ऐसे में इससे आगजनी की घटनाएं होने का खतरा है।

जिला प्रशासन की अगुवाई में गेल ने गांव पातली में करवाई मॉक ड्रिल

गुडगांव | जिला प्रशासन गुडगांव की अगुवाई में मंगलवार को गैस कंपनी गेल (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) द्वारा अनुसूचना बेस के अधीन गांव पातली में गैस पाइपलाइन में "ऑफ साइट इमरजेंसी ड्रिल" का आयोजन किया। दोपहर 12 बजे इस मॉक ड्रिल में राज्य आपदा राहत बल (एसडीआरएफ) व गेल की टीम ने पाइपलाइन गैस रिसाव होने की स्थिति में वहां पर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के तौर तरीकों के बारे में बताया। मॉक ड्रिल में मारुति, एचएसआइडीसी, आईजीएल, होंडा मोटरसाइकल व हेरो मोटो कॉर्प की बचाव टीमों ने भी हिस्सा लिया।